Government of India/BHARAT SARKAR
Ministry of Railways/RAIL MANTRALAYA
(Railway Board)

RBE NO: 138 /2012.

No:E(G) 2008 QR1-15 New Delhi, Dated: 05.12.12

The General Managers,
All Indian Railways &
Production Units.(As per standard mailing list).

Sub: Review of retention of Railway accommodation by Railway Officers/staff on their deputation to Railway PSUs.

.....

The instructions issued vide Board's letter of even number dated 01.11.2010, in regard to retention of Railway accommodation at their previous place of posting by officers/staff on deputation to Railway PSUs have been reviewed by the Board.

2. In exercise of power to make reasonable relaxations in public interest for a class/group of employees, in all or existing provisions regarding house allotment/retention, the full Board have decided to allow retention of Railway accommodation by the Railway officers/staff at their previous place of posting **upto 30.06.2014**, on their deputation to CONCOR, CRIS, IRCON, IRCTC, IRFC, KRCL, MRVC, RVNL, RCIL, RITES, DFCCIL and RLDA.

3. The employees on deputation to IRCON and RITES will continue to be governed by the instructions contained at Para 4 of Board's letter No.E(G) 2006 QR 1-14(A) dated 20.11.2006.

4. This issues with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways.

5. Please acknowledge receipt.

(S.K. Panda)
Deputy. Director Estt.(Genl.)

No:E(G) 2008 QR1-15 New Delhi, Dated: 05.12.12

Copy to Dy. Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No:224, Rail Bhawan, New Delhi.(with 46 spares).

FOR FINANCIAL COMMISSIONER/RAILWAYS.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं:138/2012.

सं. ई(जी)2008 क्यूआर 1-15

नई दिल्ली, दिनांक 05.12.2012

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय: रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति होने पर रेल अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा रेलवे आवास अपने पास रखने की समीक्षा।

रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति होने पर अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उनकी तैनाती के पिछले स्थान पर रेलवे आवास अपने पास रखने के संबंध में बोर्ड के दिनांक 01.11.2010 के समसंख्यक पत्र द्वारा जारी किए गए अनुदेशों की बोर्ड द्वारा समीक्षा की गई है।

मकान के आबंटन/इसे अपने पास रखने से संबंधित सभी अथवा किन्ही मौजूदा प्रावधानों में कर्मचारियों की श्रेणी/ग्रुप के लिए जनहित में समुचित रियायत देने की शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूरे बोर्ड ने यह विनिश्चय किया है कि कॉनकोर, क्रिस, इरकॉन, आईआरसीटीसी, आईआरएफसी, केआरसीएल, एमआरवीसी, आरवीएनएल, आरसीआईएल, राइट्स, डीएफसीसीआईएल तथा आरएलडीए में प्रतिनियुक्ति होने पर रेलवे अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी तैनाती के पिछले स्थान पर रेलवे आवास **30.06.2014** तक अपने पास रखने की अनुमति दी जाए।

3. इरकॉन तथा राइट्स में प्रतिनियुक्ति होने पर कर्मचारियों को बोर्ड के दिनांक 20.11.2006 के पत्र सं. ई(जी) 2006 क्यूआर 1-14 (ए) के पैरा 4 में अन्तर्विष्ट अनुदेशों द्वारा शासित किया जाता रहेगा।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

5. कृपया पावती दें।

(एस. के. पाण्डा)
उप निदेशक, स्थापना(सा.)

सं. ई(जी) 2008 क्यूआर 1-15

नई दिल्ली, दिनांक 05.12/2012

प्रतिलिपि भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा सं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली को प्रेषित (46 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

कृते वित्त आयुक्त/रेलें